

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष-आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1307-तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.2.13 पारित  
द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 598/निगरानी/10-11.

श्रीमती फूलमती पत्नी गणेश प्रसाद विश्वकर्मा  
निवासी ग्राम बडोखर तहसील देवसर  
जिला सिंगरौली म0प्र0

--- आवेदक


विरुद्ध  
रामलखन पिता वृन्दावन विश्वकर्मा  
निवासी ग्राम बडोखर तहसील देवसर  
जिला सिंगरौली म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामाश्रय शुक्ला  
अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री अनूप देव पाण्डे

आ दे श

( आज दिनांक 27-10-2015 को पारित )



यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 598/निगरानी/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।


2- विद्वान् अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने, आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका ने तहसीलदार देवसर को आवेदन दिनांक 7.4.04 प्रस्तुत कर बताया कि उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण क्रमांक 133/अ-1/98-99 में पारित आदेश दिनांक 27.5.99 से ग्राम बडोखर स्थित पुराने भूमि सर्वे न0 241, 246, 247, 81, 239, 152, 154 जिसके नये न0 70, 75, 77, 628 कुल रकवा 0.92 हैक्टेयर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है ) पर उसे भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये थे, किन्तु इस आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हुआ है, इसलिये अमल किया जावे । तहसीलदार देवसर ने प्रकरण क्रमांक 95/अ-74/03-04 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 18.5.04 पारित किया तथा शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के नाम का अमल करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक रामलखन द्वारा अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष निगरानी क्रमांक 213/10-11 प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 22.6.11 से तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 18.5.04 निरस्त किया गया एवं भूमि पूर्ववत् म0प्र0 शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुए। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 598/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 से निगरानी निरस्त की गई एवं अपर कलेक्टर सिंगरौली का आदेश दिनांक 22.6.2011 यथावत् रखा गया । इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है ।



3- अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार देवसर के आदेश दिनांक 18.5.04 के पूर्व शासकीय अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज चली आ रही थी । प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण क्रमांक 133/अ-1/98-99 में पारित आदेश दिनांक 27.5.99 के अनुसार बंदोवस्त के समय रह गई त्रुटि के शुद्धीकरण हेतु तहसीलदार सक्षम अधिकारी है, इस संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 89 इस प्रकार है :-

धारा-89 गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति उप खण्ड अधिकारी राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोवस्त प्रवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निघ्नरण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा ।

आवेदक ने बंदोवस्त के दौरान हुई भूल को सुधारने के लिये तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया है एवं तहसीलदार देवसर ने प्रकरण क्रमांक 95/अ-74/02-03 में पारित आदेश दिनांक 18.5.04 से बंदोवस्त की भूल सुधार का आदेश दिया है जो अधिकारिता-विहीन होने से अकृत एवं शून्यवत है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 213/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22.6.2011 से तहसीलदार देवसर के आदेश दिनांक 27.1.04 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 13.2.13 में अपर कलेक्टर सिंगरौली के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । वैसे भी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 13.2.13 एवं अपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2011 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण दोनों न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है । न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय -305 पार्वती देवी विरुद्ध सत्यनारायण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा



//4// निगरानी प्र0क0 1307-तीन/13

यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं " ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 598/निगरानी/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

  
( आशीष श्रीवास्तव )

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

M